मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1128/180/CC/2025/38, भोपाल, दिनांक 01/12/2025

प्रति,

कुलाधिपति,
व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय,
सीहोर

विषय - म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 41(1) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र ।

संदर्भ- म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3291/2025, दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से प्राप्त जांच समिति का प्रतिवेदन।

****

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर, मध्यप्रदेश में दिनांक 25.11.2025 की रात्रि में किए गए विद्यार्थियों के उग्र प्रदर्शन एवं आगजनी के समाचार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए। उक्त के तारतम्य में म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3243, दिनांक 26.11.2025 द्वारा प्रकरण में जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच-समिति का गठन किया गया। समिति का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है।

2/ म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 41(1) के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन के निम्न बिंदुओं पर कृपया अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस के अंदर विभाग को उपलब्ध करायें कि क्यों नहीं विश्वविद्यालय के विरुद्ध धारा 41(2) अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए -

(1) विश्वविद्यालय में लगभग 15000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो परिसर के अंदर स्थित विभिन्न छात्रावासों में निवास करते हैं। छात्रावासों में मेस की सेवाएं अत्यन्त असंतोषजनक हैं। प्रबंधन ने मेस संचालन हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों को अनुबंधित तो किया है किंतु प्रभावी नियंत्रण की कमी पाई गई है। भोजन, जलपान की गुणवत्ता पर ज्यादा छात्रावासियों की प्रतिक्रिया नकारात्मक है। छात्राओं द्वारा

पेयजल में दुर्गंध आने की बात समिति को बताई गई। दिनांक 14.11.2025 से 24.11.2025 के बीच 23 छात्रों तथा 12 छात्राओं को पीलिया बीमारी से ग्रस्त होने के तथ्य को प्रबंधन ने समिति के समक्ष स्वीकार किया (यद्यपि समिति ने उनसे 01.11.2025 से 24.11.2025 तक की जानकारी चाही गई थी किंतु अभिलेख संचारित नहीं थे।)।

(2) **स्वेच्छाचारिता एवं मनमानी** : प्रबंधन द्वारा परिसर को एक किले की तरह रखा गया है। परिसर की चारदीवारी के भीतर प्रबंधन के स्वयं के कानून चलते हैं। किसी को भी उनके संबंध में बात करने, प्रतिक्रिया देने की अनुमति नहीं है। परिसर में किस तरह का तानाशाही रवैया अपनाया जाता है इसका बड़ा उदाहरण यह है कि सीहोर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर 02 घंटे रोककर रखा गया। विद्यार्थियों ने समिति को अवगत कराया कि उन्हें शिकायत करने पर प्रताड़ित होने का खतरा बना रहता है। अनुशासन के नाम पर आई-कार्ड जब्त करना, परीक्षा में शामिल नहीं होने देना, प्रायोगिक परीक्षाओं में कम अंक देना या फेल कर देने की धमकी भी दी जाती है। भोजन व्यवस्था की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती तथा कह दिया जाता है कि जो बना है, वही खाना पड़ेगा।

(3) **भयपूर्ण वातावरण** : विश्वविद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था का आधार आपसी आत्मविश्वास ना होकर भयपूर्ण अनुशासन व्याप्त होने की स्थिति समिति के संज्ञान में आई। विश्वविद्यालय प्रबंधन आत्ममुग्धता एवं अति आत्मविश्वास की स्थिति में था कि वे किसी भी स्थिति को संभाल सकते है। विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ता रहा, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन्हें संतुष्ट करने की दिशा में कोई यथोचित कदम नहीं उठाए गए। जब विश्वविद्यालय प्रबंधन से व्यवस्थाएं अनियंत्रित हो गईं एवं उग्र विद्यार्थियों पर कोई नियंत्रण नजर नहीं आया, तब जाकर प्रबंधन ने रात्रि 02 बजे पुलिस प्रशासन को सूचित किया और पुलिस ने आकर व्यवस्थाएं संभालीं ।

(4) **अव्यवस्थित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा केन्द्र** : विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में कितने विद्यार्थियों को पीलिया की बीमारी हुई इसका कोई सटीक रिकार्ड नहीं था। बीमारी फैलने की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन इसे छुपा रहा था और लीपा-पोती के प्रयास किए जा रहे थे। किसी तरह के प्रीवेंटिव स्टेप्स या कंट्रोल के प्रयास नहीं किए गए। जानकारी लेने पर इन प्रश्नों के प्रति प्रबंधन की रूचि भी नजर नहीं आई। प्रबंधन बीमारी नियंत्रण के लिए किये किए प्रयासों के संबंध में

कोई सकारात्मक अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा। केन्द्र में सुविधाएं अपर्याप्त पाई गई तथा क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार इसका पंजीयन भी नहीं पाया गया। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का नितांत अभाव है। पेयजल एवं अन्य जल संसाधनों का नियमित माइक्रोबॉयोलॉजिकल ऑडिट का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

(5) **बिगड़ती परिस्थितियां संभालने में घोर असफलता** : दबाव के आधार पर स्थापित अनुशासन के विरुद्ध विद्यार्थियों में आक्रोश पनप रहा था, जिसे समझने में प्रबंधन पूर्णतः असफल रहा। विद्यार्थियों ने अपने साथियों को बीमार होते हुए देखा तथा अस्पताल ले जाने के स्थान पर उन्हें अपने घर जाने की सलाह प्रबंधन द्वारा दी गई तो वे उत्तेजित हो गए। उत्तेजना को संभालने के स्थान पर वॉर्डन एवं गार्ड ने उनके साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की, जिससे विद्यार्थियों की उग्रता में वृद्धि हुई।

(6) **पारदर्शिता का अभाव एवं अधिकारों का केन्द्रीयकरण** : विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। अनेक अवसरों पर विद्यार्थियों/पालकों को लिखित में सूचित नहीं किया जाता। स्पष्टता के अभाव में विद्यार्थी भटकते रहते हैं। समिति को 02 विद्यार्थी मिले, जो परिचय पत्र के लिए परेशान हो रहे थे तथा प्रबंधन उन्हें स्पष्ट नहीं कर रहा था कि परिचय पत्र कब मिलेंगे और कौन प्रदान करेगा। समिति ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन में अधिकार उच्च स्तर पर केवल दो, तीन अधिकारियों तक ही केन्द्रित है, बाकी अधिकारियों की भूमिका मात्र आरनामेंटल ही है।

(7) **विश्वविद्यालय प्रबंधन का असहयोगात्मक रुख** : समिति ने पाया कि विश्वविद्यालय का रुख सहयोगात्मक नहीं था। प्रबंधन के मन में यह पूर्वाग्रह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था कि समिति उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए ही आई है।

समय-सीमा में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

1-12-25

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. ...../180/CC/2025/38, भोपाल, दिनांक ...../...../2025

प्रतिलिपि -

1) प्रमुख सचिव, माननीय कुलाध्यक्ष (माननीय राज्यपाल), राजभवन, भोपाल ।
2) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल ।
3) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
4) आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
5) कलेक्टर, जिला सीहोर ।
6) मैनेजिंग ट्रस्टी, व्ही.आई.टी. ट्रस्ट, 26 मूसा स्ट्रीट, टी नगर, चैन्नई, तमिलनाडु (स्थानीय पता- जी-1, कम्फोर्ट गार्डन, कोलार रोड, चूना भट्टी, भोपाल) ।
7) कुलगुरू / कुलसचिव, व्ही.आई.टी. भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर ।
8) सचिव, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल ।

अवर सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग